

राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-अजमेर/स्वै.सेवानिवृत्ति/v-02-04989/2023/195

दिनांक:- 10-03-2023

-:: आदेश ::-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत इनके नामों के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती शारदा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर, खण्ड करेडा, जिला भीलवाडा	15.03.1967	29.09.1992	01.04.2023
2.	श्रीमती मीरा अग्रवाल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र सिलोरा, खण्ड किशनगढ, जिला अजमेर	01.08.1964	19.09.1989	01.04.2023
3.	श्रीमती सुशिला देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मान्दोलाई, खण्ड टोडारायसिंह, जिला टोंक	12.12.1969	08.12.1992	31.03.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा/अजमेर/टोंक।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- प्रभारी डी०पी०सी० अनुभाग, मुख्यालय।
- सम्बन्धित कार्मिकाओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)